न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या —43 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 61

1. शशि शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
2. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शिवचन्द शर्मा निवासीगण—2—ए—25, महावीर नगर—3, कोटा

—अपीलान्ट.

बनाम

1. अर्चना शर्मा पत्नी स्व0 शैलेन्द्र गौड पुत्री श्री सीताराम शर्मा निवासी मकान नम्बर 2633, सचिवालय नगर, नीयर वाटिका मोड जयपुर

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 21.11.2024 मि0नं0118 / 2022 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री धीरज जैन, अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक—20.01.2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थीगण अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 21.11.2024 को आदेश पारित किया है कि—" प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र की मृत्योपरान्त प्राप्त राशि में से 1 / 3 राशि की मांग की गई है तथा अप्रार्थीया के सेवारत होने से उससे भरण पोषण की मांग की गई है, लेकिन अप्रार्थीया के इस कथन का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है कि प्रार्थीगण का महावीर नगर तृतीय में तीन मंजिला मकान है जिसके किराये से उन्हें 50 हजार रूपये की मासिक आय होती है । हमारे विनम्र मत में यदि प्रार्थीगण के आय का स्त्रोत है तो भरण पोषण की मांग न्यायोचित नहीं है । परिणामस्वरूप भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।
2. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.04.2025 को पेश की गई है कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते भरण पोषण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट द्वारा स्वयं के भरण पोषण हेतु रेस्पोडेन्ट से 40,000 / — प्रतिमाह की मांग की थी, जिस पर विचारण के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 24.11.2024 पारित करते हुये अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया तथा अपीलान्ट को भरण पोषण के प्राप्त करने के लिये अनुकूल नहीं माना । उक्त निर्णय विधि संचिका के सिद्वान्तों तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सन्दर्भ में कही गयी बातों को नजर अंदाज करते हुये उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है

क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.11.2024 पारित करते समय पत्रावली का पूर्ण रूप से अवलोकन ना कर मात्र सरसरी तौर पर अवलोकन करते हुये यह माना कि अपीलान्ट स्वयं के मकान से 50,000/– प्रतिमाह किराया प्राप्त कर रहे है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नहीं आया मात्र कयास के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश देते समय अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर निर्णित करते हुये आदेश दिया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं के प्रार्थना पत्र के समर्थन में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये थे जिनसे स्पष्ट था कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के पुत्र व स्वयं के पति की मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होने वाली समस्त राशि को स्वयं ने ही ले लिया था जबकि उस राशि पर अपीलान्ट का हिस्सा भी था । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज करते हुये आदेश जेर अपील पारित किया है । क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपस्थित समस्त तथ्यों का अवलोकन ना करते हुये मात्र मकान के किराये के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ना ही ऐसा कोई गवाह या तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की बातों को स्वीकार किया जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट का कोई मकान नहीं है बल्कि अपीलान्ट अपनी पुत्री के साथ निवास कर रहा है । अतः अपील अपीलान्ट न्यायहित में स्वीकार फरमायी जाकर आलोच्य आदेश योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 21.11.2024 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट से भरण पोषण की राशि के रूप में 40,000/– प्रतिमाह दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.2024 के विरूद्व दिनांक 15.04.2025 को पेश की गई है, जो निर्धारित अवधि 60 दिवस के बाद प्रस्तुत है । मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए धारा 5 के प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि आदेश दिनांक 21.11.2024 की अपील प्रार्थीगण द्वारा सहवन से जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा में प्रस्तुत कर दी गई जिस पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आदेश दिनांक 8.3.2025 के तहत यह कहते हुये अपील का निस्तारण कर दिया कि अपीलान्ट द्वारा अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जाये । अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आदेश दिनांक 8.3.2025 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें आदेश दिया है कि–**"पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष प्रस्तुत हुई अधिवक्ता अपीलार्थी ने लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहा एवं दिनांक 4.3.2025 को प्रकरण को विड्रा किया । प्रकरण एज विड्रा खारिज किया जाता है ।"** इस प्रकार जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा में अपीलान्ट द्वारा अन्य फौजदारी अपील संख्या 126/2025 प्रस्तुत की थी, वह भी एज विड्रा खारिज हुई है जो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम–2007 की अपील नहीं की है । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के लिए बताये गये कारण उचित आधार नहीं है, फिर भी न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अपील का निस्तारण केवल तकनीकि आधार लिमिटेशन पर ही खारिज करना उचित नहीं मानते है । अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होने से अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य करते हुए प्रथम जानकारी की दिनांक 8.3.2025 मानते हुए अपील गुणावगुण पर निस्तारण हेतु ग्रहण की जाती है ।

6. वकील अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है कि प्रार्थी के पास स्वयं का मकान है जिससे 50,000/– की आय होती है, जबकि अपीलान्ट के पास कोई मकान नहीं है ओर वह अपनी पुत्री के पास निवास करते है, प्रार्थीगण अपीलांट ने यह भी तथ्य अंकित

किये है कि उनके पुत्र की एक्सीडेन्ट में मौत होने पर उसके बीमा एवं पी एफ की राशि 40,00,000/–चालिस लाख रूपये मिले थे जो अप्रार्थीया रेस्पो0 के पास है उसमें से 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण चाहते है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीया द्वारा अपने जवाब में यह तथ्य अंकित किये थे कि– **"प्रार्थीगण का कोटा में तीन मंजिला मकान नं0 2ए–25 सेक्टर 2 महावीर नगर थर्ड कोटा में 20 गुना 50 वर्गफीट का है जिसमें ग्राउन्ड फलोर में प्रार्थीगण स्वयं निवास करते है तथा तीन मंजिलों में निर्मित 10–12 कमरों में कोचिंग के विद्यार्थियों को किराये पर रखकर लगभग प्रार्थीगण को 50 हजार रूपये प्रतिमाह आय प्राप्त होती है ।"** अप्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह भी आरोप लगाया है कि अप्रार्थीया द्वारा स्वअर्जित आय से बनाई गई अचल सम्पत्ति को प्रार्थीगण हडप करना चाहते है, इसी आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का प्रार्थीगण अपीलान्ट ने कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगणों की भरण पोषण की आवश्यकता नहीं मानते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज का आदेश पारित किया है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार यह तथ्य प्रकट हुए है कि अप्रार्थीया प्रार्थीगण के मृतक पुत्र की विधवा पुत्रवधु है, अप्रार्थीया स्वयं की मेहनत एवं योग्यता से वर्ष 2013 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नियुक्त हुई है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नियुक्त पत्र से होती है तथा अपीलान्ट का पुत्र की मृत्यु 13.12.2016 में हो चुकी थी । पुत्र की मृत्यु पर कितनी राशि बीमा एवं पी एफ की मिली जिसके सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है, जो बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रमाणित नहीं है, प्रार्थी अपीलांट क्रम 2 डी0सी0एम से रिटायर्ड है, जिनको रिटायरमेंट पश्चात पैसा मिला एवं पेंशन भी मिलती है, तथा स्वयं के पास महावीर नगर स्थित मकान से भी आय होती है । इस तथ्य का भी प्रार्थी अपीलान्ट ने बलपूर्वक खण्डन नहीं किया है । न्यायालय के अभिमत अनुसार अपीलान्टगण के पास भरण पोषण के पर्याप्त साधन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है । अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

8. निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा